राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या –1071/2010/अलवर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन,वृत–प्रथम,अलवर — अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स जीरोक्स मोदी कोर्प लिमिटेड
चर्च रोड,जयपुर — प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री सुनील शर्मा,सदस्य

उपस्थितः
श्री रामकरण सिंह
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से
श्री अलकेश जैन
अभिभाषक प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक 11.02.2016

निर्णय

यह अपील सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन,वृत–प्रथम,अलवर (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) द्वारा उपायुक्त (अपील्स), पंचम, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 441/अपील–।।/2001–2001/जे.पी.बी. में पारित आदेश दिनांक 29.12.2009 के विरूद्ध पेश की गई है, जिनके द्वारा उन्होंने, कर निर्धारण अधिकारी द्वारा राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 78 (5) के अन्तर्गत शास्ति आरोपित की है, को अपास्त किया है।

अपीलों के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि कर निर्धारण अधिकारी ने वाहन संख्या डी एन जी/0582 को दिल्ली से जयपुर जाते समय दस्तावेज संग्रहण केन्द्र शाहजहांपुर पर रोक कर चेक किया। वाहन में वक्त चेकिंग फोटो स्टेट पेपर लदा पाया गया, जिसके सम्बन्ध में वाहन चालक से दस्तावेज मांगे जाने पर चालान नम्बर 0004789 दिनांक 12.06.2000, बिल्टी संख्या 011251 दिनांक 12.06.2000,स्टॉक ट्रांसफर इनवाई संख्या 939 व 938 एवं 94 दिनांक 12.06.2000 तथा घोषणा पत्र एस टी 18ए संख्या 36903/1 दो प्रतियों में था, जिसके कालम नम्बर 6 में माल की मात्रा व दिनांक अंकित नहीं थी, आदि दस्तावेज प्रस्तुत किये गये। जांच पर पाया गया कि परिवहनित माल अधिसूचित माल की श्रेणी में आता है तथा स्टॉक ट्रांसफर किया जा रहा है तथा इसके साथ पूर्ण रूप से भरा हुआ घोषणा पत्र एस टी 18ए होना चाहिए जबकि घोषणा पत्र के कालम संख्या 6 में बिना मात्रा व दिनांक अंकित कर माल का परिवहनत किया जा रहा था,जिससे अधिनियम की धारा 78 (2) सपठित नियम 53 का स्पष्ट उल्लंघन होना मानते हुए कर निर्धारण अधिकारी ने माल की कीमत पर 30 प्रतिशत की दर से अधिनियम की धारा 78(5) के अन्तर्गत शास्ति रू. 1,46,292/–आरोपित की गई। उक्त आरोपित शास्ति से क्षुब्ध होकर प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर, उन्होंने आरोपित शास्ति को

अपास्त कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.12.2009 पारित किया, जिससे असन्तुष्ट होकर कर निर्धारण अधिकारी की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी कर निर्धारण अधिकारी की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक का कथन है कि वक्त चेकिंग परिवहनित माल अधिसूचित माल की श्रेणी में आने से उसके साथ पूर्ण रूप से भरे दस्तावेज होना आज्ञापक है परन्तु वक्त चेकिंग प्रस्तुत किया गया घोषणा पत्र एस टी 18ए के कालम में माल की मात्रा व दिनांक अंकन नहीं होने से अधिनियम की धारा 78(2) का स्पष्ट उल्लंघन होने से कर निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 78 (5) के अन्तर्गत शास्ति रू 1,46,292/– आरोपित की है, जो पूर्णतया उचित एवं विधिक है किन्तु विद्वान अपीलीय अधिकारी ने बिना किसी आधार के आरोपित शास्ति को अपास्त किया है,जो अविधिक होने से अपास्त योग्य है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर प्रस्तुत अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि प्रत्यर्थी देहली स्थित आफिस द्वारा जयपुर स्थित बांच को उक्त माल स्टॉक ट्रांसफर इनवाईस नम्बर 938 व 939 दिनांक 12.06.2000 के रू. 388640/– व रू. 29000/–के द्वारा भिजवाया जा रहा था। इसके अतिरिक्त एक अन्य स्टाक ट्रांसफर इनवाईस नम्बर 94 दिनांक 10.06.2000 भी संलग्न था। उनका कथन है कि उक्त दस्तावेजों के साथ घोषणा पत्र संख्या 18ए भी संख्या 36903/1 संलग्न था तथा उक्त दस्तावेजों में माल से सम्बन्धित समस्त विवरण पूर्ण रूप से अंकित थे। उनका कथन है कि कर निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 78 (5) के अन्तर्गत केवल इस कारण कार्यवाही की है कि घोषणा पत्र के कालम संख्या 6 में बिल्टी दिनांक अंकित नहीं थी। उनका कथन है कि दस्तावेजों में माल का समस्त विवरण अंकित होने व समस्त दस्तावेज उपलब्ध होने के बावजूद भी केवल दिनांक नहीं लिखे जाने की तकनीकी भूल के कारण शास्ति आरोपित किया जाना उचित नहीं है। उन्होंने अपने कथन के समर्थन में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी.सिविल रिटी पिटीशन संख्या 400/2008 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,वार्ड–द्वितीय, वृत–बी, अलवर बनाम मैसर्स रेब कास्टिंग प्रा.लि.भिवाडी एंव अन्य निर्णय दिनांक 01.08.2013 एवं एस.बी.सिविल रिटी पिटीशन संख्या 448/2008 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड, अजमेर एंव अन्य निर्णय दिनांक 17.05.2013 में पारित न्यायिक दृष्टान्तों को उद्धरित करते हुए कर निर्धारण अधिकार की ओर से प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी, उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया तथा उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया गया। हस्तगत प्रकरण में कर

निर्धारण अधिकारी द्वारा शास्ति इस कारण से आरोपित की गई है कि घोषणा पत्र एस टी 18ए के कालम संख्या 6 में माल की मात्र व दिनांक अंकित नहीं है। इस सम्बन्ध में घोषणा पत्र एस टी 18ए संख्या 36903/1, जो शास्ति पत्रावली के पेज 9 पर उपलब्ध है, का अवलोकन किया गया । कालम संख्या 6 में बीजक संख्या/चालान संख्या और तारीख अंकित है जिसके समक्ष स्टॉक ट्रांसफर इनवाईस संख्या की संख्या 938/939/94 अंकित है मात्र दिनांक अंकित नहीं है। घोषणा पत्र एस टी 18ए के कालम संख्या 6 में माल की मात्रा का अंकन किये जाने का उल्लेख ही नहीं है। घोषणा पत्र एस टी 18ए संख्या 36903/1 के सभी कालम पूर्ण रूप से भरे हुए मात्र इनवाईस की दिनांक का अंकन नहीं है इसलिए इसे तकनीकी भूल ही कहा जा सकता है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि स्टॉक ट्रांसफर इनवाईस संख्या 938/939/94 में घोषणा पत्र एस टी 18ए की संख्या अंकित है,जिससे किसी भी प्रकार करापवंचन किया जाना प्रमाणित नहीं होता है। वक्त जांच प्रस्तुत बीजक में माल का विवरण, अनुमानित कीमत आदि का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया हुआ है।

अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि उन्होंने प्रकरण के सभी तथ्यों एवं उनके समक्ष उद्धरित किये गये न्यायिक दृष्टान्तों पर विचार करने के पश्चात कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित शाास्ति को अपास्त किया है, जो उचित प्रतीत होता है क्योंकि मात्र दिनांक अंकित नही होना एक तकनीकी त्रुटि है जिसके आधार पर अधिनियम की धारा 78 (5) के अन्तर्गत कार्यवाही किया जाना न्यायिक दृष्टि से उचित नहीं है।

प्रकरण के उपरोक्त विवेचित तथ्यों एवं उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों में प्रतिपादित मत के आधार पर कर निर्धारण अधिकरी की ओर से प्रस्तुत की गई अपील स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(सुनील शर्मा)
सदस्य